पुस्तकालय

1
3278
18/3/2013

सत्यमेव जयते

असंशोधित

12 MAR 2013

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रे०सं० 357 तिथि 15-3-13

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),183–मो०एल०–1,500

टर्न-5/12.3.13/
श्रीरमण/

15

श्री पी. के. शाही,मंत्री : महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बतलाया कि ज्यों ही भवन निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ हुई उस भूमि से संबंधित विवाद को लेकर महोदय, राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आपत्ति उठायी और इस कारण वर्तमान में मामला जिला दंडाधिकारी के न्यायालय में वाद सं0-192 में लंबित है । महोदय, जैसे ही जिला दंडाधिकारी के द्वारा मामले का निष्पादन कर दिया जाता है और विवाद समाप्त हो जाता है, भवन निर्माण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ कर दी जायेगी ।

श्री कन्हैया कुमार : महोदय, एक बड़ा इम्पौर्टेंट ..

अध्यक्ष : अब आप बैठिये । बैठिये, मैं आप ही की बात कर रहा हूं । बैठिये । माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए जो जिलाधिकारी के स्तर पर विवाद लंबित है निष्पादन के लिये, समय सीमा में उस विवाद को निष्पादित कराकर अग्रेतर कार्रवाई करा दें । बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2022(श्री नौशाद आलम)</u>

श्री पी. के. शाही,मंत्री : महोदय, 1., 2. एवं 3 - वर्तमान में चहारदीवारी निर्माण की कोई योजना नहीं है । संसाधन की उपलब्धता के उपरांत प्रश्नाधीन विद्यालय में चहारदीवारी निर्माण की कार्रवाई की जायेगी ।

श्री इजहार अहमद : अध्यक्ष महोदय,माननीय मुख्यमंत्रीजी के काल में जो शिक्षा में क्रांति आयी और शिक्षा में क्रांति आयी तो बिहार में एक बड़ा शिक्षा में क्रांति..

अध्यक्ष : इजहारजी, इजहारजी, माननीय सदस्य इजहारजी ..

श्री इजहार अहमद : अध्यक्ष महोदय, बालिका के स्कूल का मामला है और बालिका के स्कूल की चहारदीवारी का मामला है तो ये कई सवाल कई बार सदन में आ चुके हैं तो क्या सुरक्षा के, बालिका की सुरक्षा को देखते हुए बिहार के बालिका स्कूलों की चहारदीवारी बनाने का विचार सरकार रखती है या कोई योजना बनाकर उसको करना चाहती है ?

अध्यक्ष : बैठिये । माननीय मंत्री ।

श्री विजेंद्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, महोदय, आपने ये ध्यान दिया होगा इस सदन में ही माननीय मुख्यमंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि क्षेत्रीय निधि के अंतर्गत चहारदीवारी को बनाये जाने को संशोधन किये जायेंगे तो फिर इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है । बालिका विद्यालय हो या बालक विद्यालय हो । माननीय विधायक की जो क्षेत्रीय निधि है उसके अंतर्गत इसको डाला जायेगा ।

श्री प्रेमरंजन पटेल : माननीय मंत्रीजी ने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, उसके माध्यम से स्कूलों की चहारदीवारी का निर्माण कराया जा सकता है लेकिन उसके जो प्रावधान हैं उसमें स्कूलों के चहारदीवारी निर्माण के प्रावधान उसमें अंकित नहीं हैं । इसलिये उसको क्या मंत्रीजी संशोधित करके अंकित करायेंगे ।

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री सदानंद सिंह : मुख्यमंत्रीजी ने, अध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा माननीय मुख्यमंत्री ने ..

अध्यक्ष : आसन को स्मरण है ।

श्री सदानंद सिंह : माननीय मुख्यमंत्रीजी ने स्पष्ट घोषणा कर दी थी और इस आलोक में उन्होंने यह भी आश्वस्त किया था सदन को कि विधायक निधि में उसको सम्मिलित कर दिया जायेगा । अब इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है ।

अध्यक्ष : हां । बैठिये, बैठिये ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2023 (श्री श्रवण कुमार)</u>

श्री पी. के. शाही, मंत्री : महोदय, 1. उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 34540 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य कर्मचारी चयन आयोग,बिहार, पटना के द्वारा नालंदा जिले में 1070 सामान्य शिक्षक, 160 उर्दू शिक्षक एवं 57 शारीरिक शिक्षक हेतु अनुशंसा प्राप्त हुई थी । प्राप्त अनुशंसा सूची में उल्लेखित वरीयता क्रमांक का अभ्यर्थियों का नाम अनुशंसित नहीं है।

3. उत्तर खंड-2 में सन्निहित है ।

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो वरीयता सूची का निर्धारण किया गया है महोदय, उसमें जो जिले से अनुशंसा प्राप्त हुई है, उस सूची में नाम उनका छोड़ दिया गया है महोदय और छोड़ने के कारण जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें इनको शामिल नहीं किया गया है महोदय और माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक द्वारा श्री लालबाबू प्रसाद के द्वारा और श्रीमती मीना कुमारी के द्वारा एक याचिका दायर की गयी महोदय और उस याचिका सी. डब्लू.जे.सी. नं0-11656 है 2012 का महोदय और विभाग को निर्देश दिया गया है महोदय, हाईकोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कि इनके समायोजन पर विचार किया जाय महोदय, क्या माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में क्या इन अभ्यर्थियों का समायोजन करने का विचार रखती है ?